बिहार सरकार
मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन
जल संसाधन विभाग, डिहरी

संशोधित प्रेस–विज्ञप्ति

संविदा पर नियोजन हेतु सूचना

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (सम्प्रति सामान्य प्रशासन विभाग) बिहार, पटना के संकल्प संख्या सहपठित ज्ञापांक–2401 दिनांक–18.07.2007 के प्रावधानों के आलोक में जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के अधीनस्थ मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, डिहरी/मोतिहारी/दरभंगा/सहरसा/भागलपुर/बिहारशरीफ (नालंदा)/औरंगाबाद के अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालयों में मुफस्सिल स्थापनान्तर्गत मुहर्रिर के कुल 89 रिक्त पदों एवं जंजीरवाहक के कुल 100 रिक्त पदों के विरूद्ध संविदा के आधार पर नियोजन हेतु आवेदन आमंत्रित किया जाता है।

क्र0	मुख्य अभि0 सिंचाई सृजन प्रक्षेत्र	मुहर्रिर के कुल 89 रिक्त पदों की आरक्षण कोटिवार रिक्ति												जंजीरवाहक के कुल 100 रिक्त पदों की आरक्षण कोटिवार रिक्ति											
		आरक्षण कोटि												आरक्षण कोटि											
		अनारक्षित		पि0व0		अ0जा0		अ0पि0 व0		अ0जा0 जा0		पि0 व0 म0	कुल पद	अनारक्षित		पि0व0		अ0जा0		अ0पि0 व0		अ0जा0 जा0		पि0 व0 म0	कुल पद
		पु0	म0	पु0	म0	पु0	म0	पु0	म0	पु0	म0	म0		पु0	म0	पु0	म0	पु0	म0	पु0	म0	पु0	म0	म0	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	मोतिहारी	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	03	02	01	–	01	–	01	01	–	–	–	09
2	दरभंगा	01	01	–	–	–	–	01	–	–	–	–	**03**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3	सहरसा	03	02	01	–	01	01	01	01	–	–	–	**10**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4	भागलपुर	03	01	01	–	01	–	01	01	–	–	–	**08**	01	01	–	–	–	–	01	–	–	–	–	03
5	बिहारशरीफ	01	–	–	–	–	–	01	–	–	–	–	**02**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	औरंगाबाद	01	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**01**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7	डिहरी	21	11	05	03	06	04	07	05	01	0	02	**65**	29	15	07	04	09	05	10	05	01	0	03	**88**
												कुल पद	**89**											कुल पद	**100**

यह संविदा निम्नांकित शर्तों के अधीन होगी।

(i) संविदा के आधार पर नियोजन अधिकतम एक वर्ष के लिए की जाएगी।

(ii) **उम्र सीमा** :– दिनांक–01.07.2018 को न्यूनतम 18 वर्ष, सामान्य कोटि के उम्मीदवारों के लिए (पुरूष एवं महिला) अधिकतम 37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए (पुरूष एवं महिला) 40 वर्ष तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए (पुरूष एवं महिला) 42 वर्ष।

(iii) संविदा पर नियोजित जंजीरवाहक एवं मुहर्रिर को सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के प्रावधानों के आलोक में पारिश्रमिक देय होगा।

(iv) ऐसे नियोजित जंजीरवाहक एवं मुहर्रिर सरकारी सेवक नहीं माने जायेंगे और सरकारी सेवक को अनुमान्य किसी भी सुविधा के वे हकदार नहीं होगें। संविदा के आधार पर नियोजन के बाद सरकारी सेवा में नियमितिकरण का इनका कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

(v) यदि संविदा की अवधि समाप्ति के पूर्व उसका विस्तार नहीं हो जाता है तो ऐसी नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जाएगी। इस हेतु कोई आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित नहीं होगा।

(vi) इस प्रकार का नियोजन संविदा अवधि की समाप्ति के पूर्व उभय–पक्षों द्वारा एक माह की पूर्व सूचना देकर या एक माह की संविदा राशि एक मुश्त देकर समाप्त की जा सकेगी।

(vii) ऐसे नियोजित जंजीरवाहक एवं मुहर्रिर को छुट्टी की अनुमान्यता नहीं होगी। इन्हें सरकारी सेवकों को अनुमान्य आकस्मिक अवकाश मात्र अनुमान्य होगा।

(viii) संविदा पर नियोजित जंजीरवाहक एवं मुहर्रिर की सेवा स्थानांतरणीय नहीं होगी।

(ix) नियोजन के पूर्व नियमानुसार आवेदक को असैनिक शल्य चिकित्सक (सिविल सर्जन) द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराना होगा।

(x) निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट से प्राप्त आवेदन ही मान्य होंगे। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों का संज्ञान नहीं लिया जायेगा एवं डाक विभाग के विलम्ब के लिए नोडल विभाग उत्तरदायी नहीं होगा। अन्य किसी भी स्त्रोत से प्राप्त आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा।

आवेदन पत्र भेजने का पता :–

मुख्य अभियंता
सिंचाई सृजन
जल संसाधन विभाग, डिहरी
बिहार, पिन कोड–821307

(xi) आवेदक को किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय/शैक्षणिक संस्थान से इण्टरमिडिएट या समकक्ष (मुहर्रिर पद के लिए) तथा मैट्रिक या समकक्ष (जंजीरवाहक पद के लिए) की परीक्षाओं में उतीर्ण होना अनिवार्य एवं न्यूनतम योग्यता होगी।

(xii) आरक्षण :–

(क) आरक्षण बिहार सरकार के आरक्षण के नियम के अनुसार लागू रहेगा।

(ख) आरक्षण की सुविधा उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगी, जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है अर्थात् जो बिहार के मूल निवासी है। बिहार राज्य के बाहर के निवासी (अभ्यर्थी) को आरक्षण का लाभ देय नही होगा। आवेदन पत्र के इंगित कॉलम में सुसंगत आरक्षण का दावा नही करने पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। आवेदन में भरा गया स्थायी पता (स्थायी निवास) की आरक्षण प्रयोजन के लिए अनुमान्य होगा।

(ग) आरक्षित कोटि के उम्मीदवार अपनी जाति के अनुरूप आरक्षण श्रेणी के संबंध में पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात् ही आरक्षण श्रेणी का अंकन आवेदन पत्र के संबंधित कॉलम में करेंगे। किसी प्रकार की त्रुटि होने पर आरक्षण का दावा किसी हाल में मान्य नहीं होगा।

(घ) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के परिपत्र संख्या– 673 दिनांक 08.03.2011 के आलोक में आवेदन करते समय आरक्षण का दावा करने वाले अनुसूचित जाति एव अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार के पास निम्नांकित प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से होना चाहिए :–

1. जाति प्रमाण पत्र।
2. स्थायी निवास (डोमीसाइल) प्रमाण पत्र।

उसी प्रकार आवेदन करते समय आरक्षण का दावा करने वाले पिछड़ी जाति एवं अत्यंत पिछड़ी जाति के उम्मीदवारों के पास निम्नांकित प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से होना चाहिए :–

1. जाति प्रमाण पत्र।
2. स्थायी निवास (डोमीसाइल) प्रमाण पत्र।
3. क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र।

पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की दशा में, अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र एवं स्थायी निवास प्रमाण पत्र

एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की दशा में, अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत स्थायी निवास प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा।

(ड़) आवेदन करते समय दिव्यांगता के आधार पर आरक्षण का दावा करने वाले दिव्यांग उम्मीदवार के पास सक्षम प्राधिकार द्वारा विहित प्रपत्र में निर्गत निःशक्तता (दिव्यांगता) प्रमाण पत्र निश्चित रूप से उपलब्ध होना चाहिए ताकि किसी भी समय उसकी मांग किये जाने पर आवेदक उसे प्रस्तुत कर सके।

(च) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक–2526 दिनांक 18.02.2016 के द्वारा बिहार राज्य के भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानियों के नाती/नतिनी/पोता/पोती के लिए 02 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देय है। ऐसे आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को आवेदन करते समय अपने गृह जिला के जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत (भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी के नाती/नतिनी/पोता/पोती होने का) प्रमाण पत्र एवं पहचान पत्र निश्चित रूप से उपलब्ध होना चाहिए।

(छ) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–2342 दिनांक 15.02.2016 के आलोक में महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण नियमानुकूल देय है। संबंधित कोटि की महिलाओं के आवेदन पत्र अनुपलब्ध रहने की स्थिति में उसी कोटि के पुरूष आवेदकों से पद भरा जायेगा। साथ ही सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या–13062 दिनांक–12.10.2017 के अनुसार दिव्यांगों के लिए आरक्षण देय होगा। परन्तु उक्त कोटि के अभ्यर्थी की अनुपलब्धता की स्थिति में अन्य कोटि के अभ्यर्थियों से पद भरा जाएगा।

(xiii) अन्य शर्त्तें :–

(क) संविदा के आधार पर नियोजन के पश्चात् किसी प्रकार का धोखाधड़ी/गलत सूचना इत्यादि का मामला उजागर/प्रमाणित होने की स्थिति में संविदा के शर्त्तों के अधीन बिना किसी पूर्व सूचना के नियोजन तत्क्षण समाप्त करने की कार्रवाई की जायेगी।

(ख) कार्य असंतोषजनक पाये जाने की स्थिति में किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना के नियोजन समाप्त किया जा सकेगा।

(ग) कार्यो की समीक्षा सावधिक अन्तराल पर की जाएगी और कार्य संतोषजनक नहीं रहने पर नियोजन समाप्त किया जा सकेगा।

(घ) संविदा के आधार पर नियोजित कर्मी को छुट्टी की अनुमान्यता नहीं होगी। उन्हें सरकारी सेवकों को अनुमान्य आकस्मिक अवकाश मात्र अनुमान्य होगा। छः माह की अवधि के संविदा आधारित नियोजन के संदर्भ में सरकारी सेवकों को अनुमान्य वार्षिक आकस्मिक अवकाशों की कुल संख्या के आधे की संख्या में आकस्मिक अवकाश अनुमान्य होगा।

(xiv) चयन की प्रकिया :– चयन योग्यता एवं साक्षात्कार के आधार पर होगा जिसका निर्धारण चयन समिति के द्वारा किया जायेगा।

(xv) आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 16.07.2018 होगी।

(xvi) विस्तृत जानकारी जल संसाधन विभाग के वेबसाईट http://wrd.bih.nic.in पर देखा जा सकता है।

(xvii) आवेदन पत्र का प्रपत्र विभागीय वेबसाईट http://wrd.bih.nic.in से भी डाउनलोड कर प्राप्त कर सकते है।

(xviii) इस कार्यालय के पत्रांक–1175 दिनांक 30.06.2018 के द्वारा इस संबंध में प्रकाशित विज्ञापन को इस हद तक संशोधित समझा जाय। अन्य शर्त्तें यथावत् रहेगी।

03/7/2018

(ई0 रामेश्वर चौधरी)
मुख्य अभियंता
सिंचाई सृजन
जल संसाधन विभाग, डिहरी

आवेदन क्रमांक–

मुहर्रिर एवं जंजीरवाहक के पद पर संविदा के आधार पर नियोजन हेतु आवेदन पत्र

पासपोर्ट आकार का नवीनतम फोटोग्राफ जिसपर आवेदक का हस्ताक्षर हो।

01– पद का नाम :–

(जिस पद के लिए आवेदन भरा जा रहा है)

02– आवेदनकर्त्ता का पूरा नाम :–

(हिन्दी एवं अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में)

03– पिता/पति का पूरा नाम :–

(हिन्दी एवं अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में)

04– जन्म तिथि :– (DD/MM/YYYY)

05– उम्र :– (................वर्ष.................माह...............दिन..............)

(दिनांक–01.07.2018 को)

06– स्थायी पता :–

(पिन कोड सहित)

07– पत्राचार का पता :–

(पिन कोड सहित)

08– आवेदक का मोबाईल नं0 एवं ई–मेल आई डी :–

(यदि है तो)

09– आरक्षण श्रेणी :– (अना0/पि0व0/अ0पि0व0/अ0जा0/अ0ज0जा0/पि0व0म0)

(स्पष्ट उल्लेख करें)

10– निःशक्तता की स्थिति :–
(स्पष्ट उल्लेख करें)

11– शैक्षणिक योग्यता :–

क्र. स.	शैक्षणिक योग्यता	संस्थान	बोर्ड / विश्वविद्यालय	परीक्षा उत्तीर्णता का वर्ष	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत	श्रेणी
1.	मैट्रिक							
2.	इण्टरमीडिएट							

12– आवेदन पत्र के साथ निम्नांकित प्रमाण–पत्रों की स्व–अभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न किया जायेगा :–

(i) उम्र के प्रमाण हेतु मैट्रिक या समकक्ष परीक्षा उतीर्णता का प्रमाण पत्र।
(ii) क्रमांक–6 के क्रम में स्थायी निवास (डोमोसाइल) प्रमाण पत्र।
(iii) क्रमांक–9 के क्रम में जाति प्रमाण पत्र।
(iv) क्रमांक–10 के क्रम में निःशक्तता (दिव्यांगता) प्रमाण पत्र (जिनके लिए लागू हो)।
(v) क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र (जिनके लिए लागू हो)।
(vi) क्रमांक–11 में उल्लेखित शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र।

घोषणा पत्र

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता / करती हूँ कि समर्पित सभी मूल प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित छायाप्रति से सम्बंधित सभी मूल प्रमाण पत्र मेरे पास उपलब्ध है एवं जब कभी इनकी मॉग की जायेगी तो उन्हें निरीक्षण हेतु उपलब्ध कराया जाएगा। आवश्यक निरीक्षण हेतु मांगा गया मूल प्रमाण पत्र ससमय उपलब्ध नहीं कराने की स्थिति में मेरा कोई भी दावा मान्य नहीं होगा। अगर समर्पित कोई भी प्रमाण पत्र गलत पाया गया अथवा की गई घोषणा / उक्ति गलत पायी गयी तो मेरा नियोजन रद्द कर दी जाए और मेरे विरूद्ध अपेक्षित कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी।

दिनांक –

स्थान – **(आवेदक का हस्ताक्षर)**